



ที่ พณ ๐๓๐๙.๐๙/ว ๕๕๓

สภาอุตสาหกรรมฯ
เลขที่รับ.....07247
- 9 ต.ค. 2567
เวลา.....14.30 น.

ถึง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรมการค้าต่างประเทศ ขอแจ้งประกาศของกระทรวงการคลัง สาธารณรัฐอินเดีย ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ ขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty: CVD) กับสินค้า Continuous Cast Copper Wire Rod ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย ซึ่งขยายเวลาการเรียกเก็บอากร CVD กรณีดังกล่าวถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยสินค้าจากประเทศไทยจะถูกเรียกในอัตราอากรร้อยละ ๐ - ๓.๔๖ ของ Landed Value ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศดังกล่าวได้ตาม QR Code ที่แนบ มาเพื่อทราบ และแจ้งสมาชิกให้ทราบโดยทั่วกัน



กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า
โทร ๐๒ ๕๔๗ ๔๗๓๘
โทรสาร ๐๒ ๕๔๗ ๔๗๔๑

รับเอกสารแล้ว
ชื่อผู้รับ.....ทพ. (นันท)
วันที่.....๙ ต.ค. ๒๕๖๗/๒๕:๕๓ น.
โทรศัพท์.....



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102024-257709
CG-DL-E-04102024-257709

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566]

नई दिल्ली शुक्रवार, अक्टूबर 4, 2024/आश्विन 12, 1946

No. 566]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 4, 2024/ASVINA 12, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2024

सं. 06/2024-सीमाशुल्क (सीवीडी)

सा.का.नि. 608(अ).—जहां कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड एवं वियतनाम में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “कांटीन्यूअस कॉस्ट कॉपर वायर रॉड” (एतद्पश्चात् विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात् सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7408 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2020-सीमाशुल्क (सीवीडी), दिनांक 8 जनवरी, 2020, जिसे सा.का.नि. 18(अ), के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए काउंटरवेलिंग ड्यूटी को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज़्ड वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतद्पश्चात् जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 24 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (6) के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना संख्या 07/07/2024-डीजीटीआर, जिसे दिनांक 29 जून 2024, को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (6) के अनुसार उक्त काउंटरवेलिंग ड्यूटी को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 20 और 24 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2020-सीमाशुल्क (सीवीडी), जिसे सा.का.नि. 18(अ), दिनांक 8 जनवरी, 2020, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, यह काउंटरवेलिंग ड्यूटी दिनांक 7 जुलाई, 2025 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है, तक लागू रहेगी।”

[फा. सं. 190354/143/2024-टीआरयू]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

नोट:-प्रधान अधिसूचना संख्या 01/2020-सीमा शुल्क (सीवीडी), दिनांक 8 जनवरी, 2020 को सा.का.नि. 18(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2024

No. 06/2024-Customs (CVD)

G.S.R. 608(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 07/07/2024-DGTR dated 29th June, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1, dated the 29th June, 2024, has initiated review in terms of sub-section (6) of section 9 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 24 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of countervailing duty on imports of “Continuous Cast Copper Wire Rod” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under heading 7408 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 1/2020-Customs (CVD), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 18(E), dated the 8th January, 2020, and has requested for extension of the said countervailing duty in terms of sub-section (6) of section 9 of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act, read with rules 20 and 24 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 1/2020-Customs (CVD), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 18(E), dated the 8th January, 2020, namely:-

In the said notification, after paragraph 2 and before the *Explanation*, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the countervailing duty shall remain in force up to and inclusive of the 7th July, 2025, unless revoked, superseded or amended earlier.”.

[F. No. 190354/143/2024-TRU]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.

Note : The principal notification No. 1/2020-Customs (CVD) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 18(E), dated the 8th January, 2020